



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3075/संबं/वि.प्र./2022

भोपाल, दिनांक 04.09.22

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त अशासकीय महाविद्यालय

(बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध)

विषय:-विधानसभा सत्र 07-25 मार्च (2022 तारांकित प्रश्न क्रमांक 1623) मान.
विधायक अनिरुद्ध माधव मारु - प्रश्नांश 'क' के संबंध में प्रपत्र अनुसार
जानकारी अनिवार्यतः गूगल फार्म पर उपलब्ध कराने एवं गूगल मीट में
संम्मिलित बाबत।

संदर्भ:-विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 2154/अका.संबं/2022 दिनांक 28.07.2022
विश्वविद्यालय का पत्र क्रं 2197/अका/संबं/2022 दिनांक 05.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में उल्लेख है कि विधानसभा पत्र तारांकित प्रश्न क्रं 1623 के संबंध में चाही गई जानकारी आज-पर्यन्त तक विश्वविद्यालय को अप्राप्त होने के कारण शासन को प्रेषित नहीं की जा सकी है ।

2. विश्वविद्यालय को कुछ महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित जानकारी प्राप्त हुई है परन्तु प्रपत्रानुसार नहीं होने के कारण प्रेषित करने योग्य नहीं है।
3. उक्त विधान सभा प्रश्न की जानकारी तत्काल शासन को भेजा जाना है अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गूगल फार्म तैयार किया गया है ताकि प्राप्त जानकारी को एकजाई करके अविलम्ब शासन को भेजा जा सके ।
4. निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा प्रश्न की वांछित जानकारी

<http://sites.google.com/view/bubhopal-academy>

लिंक को क्लिक कर गूगल फार्म में प्रविष्टि कर दिनांक 05.09.2022 समय प्रातः 11:00 बजे तक अनिवार्य प्रेषित करे ।

5. उक्त विधानसभा प्रश्न क्रं 1623 की जानकारी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक गूगल मीट पर दिनांक 05.09.2022 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित की जा रही है । बैठक में समस्त प्राचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्राचार्यों की गूगल मीट बैठक हेतु लिंक का विवरण निम्नानुसार है :-

कं	जिला	गूगल लिंक का विवरण	समय
1	भोपाल	meet.google.com/ewu-qzui-jpt	प्रातः 11:30 बजे से
2	विदिशा, रायसेन, सीहोर	meet.google.com/bqs-bmyz-seg	प्रातः 11:30 बजे से
3	नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़	meet.google.com/nsc-unfp-mdx	प्रातः 11:30 बजे से

“उपरोक्त जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये”

सूचित किया जाता है कि महाविद्यालयों द्वारा गूगल मीट में सहभागिता नहीं करने एवं गूगल फार्म पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में शासन को अवगत कराते हुए संबद्धता समाप्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पृ. क्रमांक ~~3076~~ / अकादमी / 2022


प्रतिलिपि:-

- डॉ० धीरेन्द्र शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उ.शि.म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से कुलपति/कुलसचिव जी को सूचनार्थ ।


कुलसचिव

भोपाल, दिनांक----




उपकुलसचिव (अकादमी)

